उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकारका उपक्रम)
14 –अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ– 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U31901UP1985SGC007135

पत्रांकः–2633 मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2024–11(3)–मा0सं0–03 / 2024 दिनांकः 20/08/ 2024

अधिसूचना

निगम हित में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–08–उप्रराविसेआ / उनिलि / 2020 / पी–4 / 5 / 6 / आपरेटिंग स्टाफ / चयन(प्रोन्नति) दिनांकः 10.01.2023 में वर्णित कार्यालय ज्ञाप संख्या 30 / उनिलि / रिफार्म / विनियम 179–179.29 / 2019 दिनॉक 07.02.2019 के प्रस्तर 17(1)(a) में अंकित प्राविधानों को निगमादेश सं0–175 / उनिलि / रिफॉर्म / अवर अभियन्ता (वि0 एवं यॉं0) विनियमावली / 2024, दिनांकः 08.08.2024 द्वारा संशोधित किया गया है।

उपरोक्त संशोधन के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप सं0–08–उप्रराविसेआ / उनिलि / 2020 / पी–4 / 5 / 6 / आपरेटिंग स्टाफ / चयन(प्रोन्नति) दिनांकः 10.01.2023 में अर्ह अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था, उन्हें आवेदन का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है।

अतः विज्ञापन सं0–08–उप्रराविसेआ / उनिलि / 2020 / पी–4 / 5 / 6 / आपरेटिंग स्टाफ / चयन (प्रोन्नति) दिनांकः 10.01.2023 के सापेक्ष तत्समय अर्ह कार्मिक, जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था, ऐसे अर्ह एवं इच्छुक कार्मिक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में परियोजना के माध्यम से निगम मुख्यालय, अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–03) शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को विलम्बतम् दिनांकः 31.08.2024 तक प्रेषित करें।

विज्ञापन–सं0–08–उप्रराविसेआ / उनिलि / 2020 / पी–4 / 5 / 6 / आपरेटिंग स्टाफ / चयन (प्रोन्नति) दिनांकः 10.01.2023 में वर्णित अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि ।

निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

पत्रांकः 2633 मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2024–11(3)–मा0सं0–03 / 2024 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / परियोजना एवं वाणिज्य / वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ अफसर / निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता(मा0सं0), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 / स्तर–2) ओबरा / अनपरा / हरदुआगंज / पनकी / पारीछा / जवाहरपुर ताप विद्युत गृह को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में यथावश्यक कार्यवाही करते हुए परियोजना पर कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों को तद्नुसार सूचित करायें एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2) तापीय परिचालन/वाणिज्य /ईंधन/ आर0एण्डएम0/ पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लाक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0
9. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उनिलि, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार।
10. मुख्य अभियन्ता (प्रगति), उ0नि0लि0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
11. सूचना–पट, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन/विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

(देवेश कुमार विश्वकर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–03)

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू0 पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226 001
CIN-U31901UP1985SGC007135

संख्या–175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉं) विनियमावली/2024 दिनांक: 08/08/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" में निहित विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू0पी0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 16.07.2024 को आयोजित चतुर्थ बैठक में मद संख्या–4.11 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में निम्नवत् आदेशित किया जाता है –

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 के प्रस्तर–17 के यथासंशोधित का0ज्ञा0सं0: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम: 179–179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion:-	17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion-
(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:	(1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b)(ii) a selection based on merit shall be made from the following:
(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-	(a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayamavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:-
"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-	"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-
(i) High School (Science & Maths) — 30 marks	(i) High School (Science & Maths) — 30 marks
(ii) ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering) — 35 marks	(ii) ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering) — 35 marks
(iii) Experience (one mark for each year of service) **Note:** Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in — 35 marks	(iii) Experience (one mark for each year of service) **Note:** Marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in — 35 marks

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
Thermal Power Station/Project without any interruption in service.	Thermal Power Station/Project without any interruption in service. टिप्पणी:– क) एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के समान अंक प्राप्त होने पर श्रेष्ठता सूची उनके टी0जी0–।। के पद के लिए सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगी तथा वह कार्मिक श्रेष्ठता में मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी0जी0–।। के पद पर नियुक्त कार्मिकों से श्रेष्ठता में ऊपर होंगे। ख) यदि उपरोक्त प्रक्रिया में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के अंक एक समान होते हैं तो निम्न फॉर्मूले के द्वारा नोरमलाईजेशन करते हुए श्रेष्ठता निर्धारित की जायेगी। **The normalization shall be done by the following formula:-** • **Actual Marks Obtained** $= M + \frac{[(X-m)S]}{s}$ • **Where M= The overall mean of the obtained marks.** • **X= Raw marks obtained in written Examination.** • **m= Mean of the particular subject.** • **S= Standard deviation of all the marks obtained.** • **s= Standard deviation of the particular subject.** ग) यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता ITI में प्राप्त अंकों/प्रतिशत के अनुसार की जायेगी अर्थात जिस कार्मिक के प्राप्तांक/प्रतिशत अधिक होगें वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगें। यदि उसके उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
	अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी। घ) मृतक आश्रित कोटे एवं श्रमिक से टी0जी0–।। के पद पर नियुक्त कार्मिकों की श्रेष्ठता उनकी टी0जी0–।। के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार की जायेगी। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण तिथि समान होती है तो उस स्थिति में उन कार्मिकों की पारस्परिक श्रेष्ठता उनके कक्षा 10वीं में गणित में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी अर्थात जिस कार्मिक के प्राप्तांक अधिक होगें वह श्रेष्ठता सूची में ऊपर होगें। यदि उक्त प्रक्रिया के उपरान्त भी कार्मिकों के अंक समान होते हैं तो उनकी पारस्परिक श्रेष्ठता कक्षा 10वीं में विज्ञान में प्राप्त अंकों के अनुसार की जायेगी।
Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential reports for the past 10 years immediately preceding the selection.	**-No Change-**
The selection for these candidates shall be carried out through **"Vidyut Utpadan Sewa Ayog"**, and through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of canditates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.	The selection for these candidates shall be carried out through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of canditates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.

II- का0ज्ञा0सं0: 30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः 179–179.29/2019 दिनांक 07.02.2019 की तालिका के स्तम्भ–2 में 17(1)(b) पर अंकित प्राविधान यथावत् रहेंगे।

III- उक्त चयन प्रक्रिया अग्रेतर पदोन्नति एंव वर्तमान में लम्बित पदोन्नति चयन वर्ष 2022–23 हेतु भी लागू होगी।

IV- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के सभी परियोजना प्रमुखों द्वारा उपरोक्त संशोधनों को, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन सं0: 08 – उप्रराविउसेआ/उनिलि/2022/पी–4/5/6/आपरेटिंगस्टाफ/चयन (प्रोन्नति) दिनांक: 10.01.2023 के संदर्भ में अपनी परियोजना पर कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों को तदनुसार सूचित किया जाएगा तथा निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

V- उपरोक्त के फलस्वरूप "The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation-1972 (as amended)" उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी तथा विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–175/उनिलि/रिफॉर्म/अवर अभियन्ता(वि0 एवं यॉं) विनियमावली/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्रबं0 एवं प्रशा0/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर0एण्ड0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव–परियोजना, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2), प्रगति इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा0वा0से0/प्रशिक्षण), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0–02/औ0सं0/वित्त एवं लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

08/08/24
(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म)

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या–30/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:179–179.29/2019 दिनांक:07/फरवरी/2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 07 जनवरी 2019 को संपन्न 179वीं बैठक में एजेण्डा संख्या–179.29 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation –1972 के प्रस्तर–17 के यथासंशोधित आदेश सं0 08–उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:157–33/2013 दिनाँक: 16/01/2014 (आंशिक संशोधन संख्या–50/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168 –27/2016 दिनांक: 08/03/2016) के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ–2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

वर्तमान प्राविधान (1)	प्रतिस्थापित प्राविधान (2)
17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion- (1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b) (ii) a selection based on merit shall be made from the following : (a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayawavali, 1995"(as amended) according to the following criteria on interview basis:- **"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-**	17. Selection for appointment to the JE (Ordinary Grade) by promotion- (1) For purpose of recruitment to the posts in the Ordinary Grade under regulation 5(b) (ii) a selection based on merit shall be made from the following : (a) "Members of operating staff (skilled) from the category of P-4, P-5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari varg sewa vinayawavali, 1995" (as amended) who have confirmed and completed 10 years of service according to the following criteria on selection basis:- **"Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under:-**
(i) High School (Science & Maths) — 25 marks (ii) ITI — 20 marks (iii) Higher Technical Qualification (Diploma/Degree in Engineering) — 10 marks (iv) Experience (one mark for each year of service) **Note:** Selection years of — 35 marks	(i) High School (Science & Maths) — 30 marks (ii) ITI/Higher Technical Qualification(s) (Diploma/Degree in Engineering) — 35 marks (iii) Experience (one mark for each year of service) **Note:** Marks shall be awarded — 35 marks

	service period completed on the post of category P4, P5 and P6 without any interruption will only be considered.			for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and P6 in Thermal Power Station/Project without any interruption in service.
(v)	Interview	10 marks		
Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential reports for the past 10 years immediately preceding the selection.			-No Change-	
The selection for these candidates shall be carried out through "Vidyut Utpadan Sewa Ayog", and through committee as defined for selection at (b) (v) below. The interse seniority of candidates selected shall be in accordance to the merit in the list prepared by the above mentioned procedure.			-No Change-	
(b) 8.33% horizontal reservation shall be provided to the Members of Operating Staff (skilled) and have completed 02 year service after the completion of the aforesaid Diploma/degree before commencement of the selection year.			(b) 8.33% reservation shall be provided to the Members of Operating Staff (skilled) who have confirmed & completed the aforesaid Diploma / Degree in branches prescribed in O.M. No.: 120/UNL/Reform/Regulation:176-176.19/2018 Dated: 23/06/2018 and completed 05 year service before commencement of the selection year.	
(i) The selection shall be based on a written test followed by a practical and oral test to which only such candidates would be admitted as have qualified in the written test.			(i) -No Change-	
(ii) The names of the candidates who qualify in the practical and oral test shall be placed in a list in their order of merit. For computing the merit of a candidate the marks obtained by him both in the written test and the practical and oral test shall be added.			(ii) -No Change-	
(iii) The number of names in the list drawn up under clause (ii) shall not exceed the number of vacancies announced at the time of the announcement of the examination by more than 25%.			(iii) -No Change-	
(iv) The syllabus for the written test and the practical and oral test shall be laid down by the Chief Engineer from time to time.			(iv) -No Change-	
(v) A Committee comprising the following will supervise the written examinations and held the practical and oral tests:-			(v) -No Change-	

1) Chief Engineer 2) One Superintending Engineer to be nominated by Chief Engineer 3) An officer of the Corporate Human Resources not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by Chief Engineer (HR). (vi) The Chief Engineer shall have the power to remove the name of any candidate from the list drawn up under clause b(ii) if his work or conduct at any time subsequent to the holding of the tests is reported to be such as to render him unfit for promotion.	(vi) -No Change-

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 30 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियमः179–179.29 / 2019 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / परियोजना एवं वाणिज्य / तकनीकी / वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा / ओबरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम / वाणिज्य / ईंधन / तापीय परिचालन / आर0एण्ड0एम0 / जानपद नव–परियोजना / पर्यावरण एवं सुरक्षा / न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न 179वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या–179.29 के संदर्भ में।
10. उपमहाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0 1 / 2 / 3 / 4 / 5) / प्रशिक्षण इकाई / संसदीय कार्य इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46 / वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(मो0 तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
10वाँ तल, कक्ष संख्या 1025, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्रांकः 08 –उप्रराविउसेआ/उनिलि/2022/पी–4/5/6/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति), दिनाँक : 10 – 01 – ,2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 (यथासंशोधित) (परिचालकीय संवर्ग की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता) तथा "U.P. State Electricity Board Sub-ordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulation-1972" (यथा संशोधित) अद्यतन संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्या 30/उनिलि/रिफार्म/विनियम 179–179.29/2019 दिनॉक 07.02.2019 **(संलग्नक–क)** में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत श्रेणी पी–4, पी–5 एवं पी–6 के कुशल परिचालकीय कार्मिक जो दिनॉक 01.07.2022 तक Member of Operating Staff (Skilled) के रूप में स्थाई हो तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हो, से अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) (वि0 एवं यॉ0) के 48 पदों पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप **(संलग्नक–1 व 2)** में आमंत्रित किये जाते हैं:–

उक्त पदों हेतु अर्ह एवं इच्छुक कार्मिकों द्वारा आवेदन पत्र (संलग्नकों सहित) एवं विवरण सूची अपने नियंत्रक अधिकारी (जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो) के माध्यम से सम्बन्धित ताप विद्युत गृह के परियोजना प्रमुख के कार्यालय में जमा करना होगा। परियोजना स्तर से परियोजना प्रमुख इनकी संगत विनियमावली के अनुसार विवरण सूची संलग्न प्रारूप **(संलग्नक–3)** आवेदन पत्र (संलग्नकों सहित) **समस्त तापीय परियोजनाओं से दिनांक 08.02.2023** तक तथा निगम मुख्यालय स्थित इकाइयों से **दिनांक 30.01.2023 तक** सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जॉच तदोपरान्त कार्मिकों के विवरण का संकलन कराने हेतु परियोजना प्रमुख परियोजना स्तर पर आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी भी नामित कर सकते हैं। प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को संकलित करते हुए विद्युत सेवा आयोग, पावर कारपोरशन लि0 को चयन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना है।

संलग्नक : यथोपरि (संलग्नक–1, 2, 3 एवं 'क')।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

पत्रांकः 08 – उप्रराविउसेआ/उनिलि/2023/पी–4/5/6/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति) तद्दिनाँक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य/वित्त), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ अफसर/निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष (उत्पादन सेवा आयोग), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2)ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह को संगत विनियमावली के यथासंशोधित अनुभव के अंकों के निर्धारण सम्बन्धी विनियम कार्यालय ज्ञाप संख्या–50–उनिलि/रिफार्म/ विनियम:168–27/2016 दिनांक 08.03.2016 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 30/उनिलि/रिफार्म/विनियम 179–179.29/2019 दिनॉक 07.02.2019, एवं 06–उनिलि/रिफार्म/विनियम :157– 25/2013 दिनॉकः 16.01.2014 की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी पी–4, पी–5 एवं पी–6 पद से सम्बन्धित वर्तमान पदनाम/संशोधित पदनाम अर्हता एवं अन्य विवरण को भली–भांति संज्ञान में लेते हुए इस पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–3)** में सम्पर्ण विवरण तथा निगमादेशानुसार विभिन्न स्तम्भों में अंक अंकित कराते हुए परियोजनावार/इकाईवार अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं एक साफ्ट कापी में भी इस विवरण को Excel format में इस कार्यालय को **दिनांक 08.02.2023 तक** भेजना सुनिश्चित करायें, जिससे समस्त आवेदन पत्रों को संकलित करते हुए विद्युत सेवा आयोग, पावर कारपोरशन लि0 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2), मानव संसाधन/पी0पी0एम0एम0/जानपद–नव परियोजना/ तापीय परिचालन/ ईंधन/वाणिज्य/ आर0 एण्ड एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा इकाई, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग लखनऊ, को भी क्रम सं0 5 अनुसार कार्यवाही करते हुए **दिनांक 30.01.2023 तक** भेजना सुनिश्चित करायें जिससे समस्त आवेदन पत्रों को संकलित करते हुए विद्युत सेवा आयोग, पावर कारपोरशन लि0 को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।
7. मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत (उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0)/मुख्य अभियन्ता, कार्मिक एवं प्रबन्धन (जल विद्युत निगम लि0), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वे कर्मचारी जो जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हों, को उपरोक्तानुसार सूचित करने की कृपा करें।

क्रमशः 2/–

8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एसएलडीसी परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
9. सचिव विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, एसएलडीसी परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्यालय स्थित समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्ता लखनऊ।
12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0नि0लि0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय ज्ञाप को निगम क वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करवाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित कर दें।
13. सूचना–पट, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन/विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

10/01/2023

(अनीश कपूर)
सचिव

संलग्नक (1)

परिचालकीय संवर्ग (कुशल) के श्रेणी पी–4, पी–5 एवं पी–6 कार्मिकों से प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी)(वि0 एवं यॉ0) पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र

1. पूरा नाम (हिन्दी में) : .....
   (अंग्रेजी में): .....
2. पिता का नाम: .....
3. (अ)पत्राचार का पता : .....
   .....
   (ब) स्थाई पता : .....
   .....
4. जन्मतिथि : .....
5. पदनाम : .....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगायें जो नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

6. वर्तमान तैनाती
   (खण्ड/मण्डल/इकाई/परियोजना का नाम:.....

(अ) शैक्षिक योग्यता विवरण (आदेश सं0 06–उनिलि/रिफार्म/विनियम:157–25/2013 दि0 16.01.2014 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा मान्य नही है इसलिये उसका उल्लेख न करें):–

कक्षा	विद्यालय का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक का प्रतिशत (छायाप्रति संलग्न करें)
जूनियर हाई स्कूल (कक्षा–8)					
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					

(ब) तकनीकी योग्यता विवरण (आदेश सं0 06–उनिलि/रिफार्म/विनियम:157–25/2013 दि0 16.01.2014 के अनुसार दूरस्थ शिक्षा मान्य नहीं है इसलिये उसका उल्लेख न करें):–

ट्रेड/डिप्लोमा/ डिग्री का विवरण	ट्रेड/विधा	संस्था का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत (छायाप्रति संलग्न करें)
आई0टी0आई0					
डिप्लोमा					
डिग्री					

7. विभाग में पोषक संवर्ग में दिनॉक 01.07.2022 तक की गई सेवाओं का विवरण:–

खण्ड/मण्डल/इकाई का नाम	पद का नाम जिस पर कार्य किया।	स्तर पी–4 पी–5, पी–6)	तिथि		01.07.2022 तक कुल अवधि (चयन वर्षो में)
			कब से	कब तक	

नोटः– अभ्यर्थी सर्विस बुक के प्रथम पृष्ठ, स्थाईकरण तिथि अंकित पृष्ठ एवं तकनीशियन श्रेणी–II के पद पर प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि के साथ अंकित पृष्ठ तथा सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापों एवं हाईस्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र की नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

क्रमशः 2/–

manojsingh Leica USA LPD 2022

8. निलम्बन/दण्ड/पुरस्कार का विवरण यदि कोई हो, अन्यथा की स्थिति में शून्य अंकित करें:–

दण्ड/पुरस्कार का विवरण	निलंबन का समय कब से कब तक	दण्ड/पुरस्कार मिलने का कारण	खण्ड का नाम	टिप्पणी

9. (अ) स्थाई/अस्थाई .....
(ब) पद जिस पर स्थाई है .....
(स) स्थाई होने की तिथि .....
(द) पत्र संख्या व दिनॉक जिनके द्वारा स्थाई किये गये.....
(छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री .....पदनाम..... एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही हैं और यदि इस प्रपत्र में दी गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाये तो मुझे अभिलेखीय परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये अयोग्य मान लिया जाये। पदोन्नति के उपरान्त यदि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना असत्य पायी जाती है तो मुझे पदोन्नति से वंचित करते हुए परिचालन सेवा संवर्ग में अपने पूर्व कार्यरत पद पर प्रत्यावर्तित/पदावनत कर दिया जाए।

संलग्नकः यथोपरि।

दिनॉकः.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम).....

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक नियमित अधिष्ठान में स्थाई रूप से संविलीनीकरण के फलस्वरूप निगम की सेवा शर्तो से नियंत्रित है तथा आवेदक द्वारा दिये गये उपरोक्त विवरण, आवेदक के मूल सेवा अभिलेखों से मिलान करने पर सही पाये गये है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के अभिलेख (दण्डसार) के अनुसार निलंबन/दण्ड नही मिला है/बिन्दु 8 पर दिये विवरण अनुसार मिला है।

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर सहित
(अधिशासी अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा)

नोटः–
1. अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें। नियंत्रक अधिकारी निगम कार्यालय ज्ञाप सं0 50–उनिलि/2013/उप्रराविउसेआ/2016/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति) दिनॉक 08.03.2016 अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।
2. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की वेबसाइट www.uprvunl.org पर भी देखा जा सकता है।

वार्षिक गोपनीय आख्या/दण्ड का सार

1. कार्मिक का नाम :.....

2. पदनाम :.....

3. वर्तमान तैनाती :.....

4. गत दस (10) वर्षो की वार्षिक चरित्र पंजिका प्रविष्टियों का सार :

क्र0 सं0	वर्ष	अवधि		प्रदत्त श्रेणी का विवरण			यदि दण्ड दिया गया हो तो विवरण
		दिनांक से	दिनांक तक	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी	
1.	2012–13	01.04.2012	31.03.2013				
2.	2013–14	01.04.2013	31.03.2014				
3.	2014–15	01.04.2014	31.03.2015				
4.	2015–16	01.04.2015	31.03.2016				
5.	2016–17	01.04.2016	31.03.2017				
6.	2017–18	01.04.2017	31.03.2018				
7.	2018–19	01.04.2018	31.03.2019				
8.	2019–20	01.04.2019	31.03.2020				
9.	2020–21	01.04.2020	31.03.2021				
10.	2021–22	01.04.2021	31.03.2022				

5. सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र की स्थिति:.....

6. लम्बित जॉच/अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति :.....

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/मुहर सहित

Proforma for P-4, P-5 & P-6 selection for promotion JE(Ordinary Grade)

S. N.	Name of Project	Name of Candidates	Father's Name	Date of Birth	Detail of Joining to UPSEB/ Nigam			Confirmation Details		Detail of P-4 Post			*Total Continues length of service in terms of completed selection years in Members of Operating staff (Skilled) reckoned from the date of joining to 01.07.2022.	**Experience (one mark for each year of service) Note:- marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and p6 on Thermal Power Station/Project Without any interruption in service. (Experience shall be reckoned from the date of joining at P-4 to 01.07.2022) (Max. 35 Marks)	Academic Qualification / Technical Qualification		Total marks out of 100 Marks = (15+16+17)	Remarks (if any)
					Name of post	Date of Joining	Place of Posting	Name of post	Date of Confirmation	Name of post	Date of Joining on P-4 post	Place of Posting when appointed/ promoted as P-4			High School (Science & Maths 30 marks)	I.T.I /Higher Techchnical Qualifications(s) (Diploma/ Degree in Engineering (35 Marks)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Note :-

Marks to be awarded as per O.M. No. 30-UNL/ Reform / Viniyam: 179-179.29/2019 Dated : 07/02/2019

Total numbers of marks allotted will be 100 which will be distributed as under :-

(i)	High School (Science & Maths)	30 Marks
(ii)	I.T.I /Higher Techchnical Qualifications(s) (Diploma/ Degree in Engineering	35 Marks
(iii)	Experience (one mark for each year of service) Note:- marks shall be awarded for selection years of service period completed on the post of category P4, P5 and p6 on Thermal Power Station/Project Without any interruption in service.	35 Marks

*Member of Operating staff (Skilled) form the categroy of P4, P5 & P-6 in U.P. Rajya Vidyut Parishad Parichalikiya Karamchari Varg Sewa vinayamavali, 1995 (as ameded) who have confirmed and compelted 10 years of Service.

**Provided there is no punishment/misc. advance awarded or disciplinary proceeding pending and there is no adverse reporting in the available Annual Confidential Reports for the past 10 years immediately Preceding. the selection.

Signature/Name/Seal of Controlling Officer

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांकः 06 –उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः157–25/2013 दिनाँकः 16/01/2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 28 दिसम्बर 2013 को संपन्न 157वीं बैठक में एजेण्डा आइटम सं0–25 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में वर्तमान में लागू समस्त संवर्गों की सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु यथानिर्धारित शैक्षिक अर्हता/अर्हताओं के संबंध में यह स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं।

सम्बन्धित विनियमावलियों तथा प्रशासनिक आदेशों के संगत प्राविधान उपरोक्त सीमा तक संशोधित मानें जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांकः 06/उनिलि/रिफॉर्म/विनियमः157–25/2013 तद्दिनाँक ।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी) के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, ।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), मा0सं0/पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ (निदेशक मण्डल की 28 दिसम्बर 2013 को संपन्न 157वीं बैठक के एजेण्डा आईटम –25 के संदर्भ में)
8. अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या – 50 /उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168–27/2016 दिनांक : 08/03/2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाँक 04 फरवरी 2016 को संपन्न 168वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या: –27 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुसार एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथाप्रभावी "The Uttar Pradesh State Electricity Board Sub-ordinate Electrical And Mechanical Engineering Service Regulation 1972" (अद्यतन संशोधित) विनियमावली के विनियम–17 में किये गये संशोधित आदेश सं0 08–उनिलि/रिफॉर्म/ विनियम:157–33/2013 दिनॉक: 16.01.2014 के प्रस्तर–17(1) (a)(iv) में यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुभव के लिये निर्धारित 35 अंकों के निर्धारण हेतु सम्बन्धित कार्मिक द्वारा "परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली –1995"(यथा संशोधित) की श्रेणी प–4, प–5 व प–6 के पदों पर बिना व्यवधान के की गयी सेवा अवधि के चयन वर्षों को ही केवल संज्ञान में लिया जाएगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या –50 /उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168–27/2016 तद्दिनाँक ।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. समन्वयक (पीपीएमएम), 7वां तल, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/जानपद नव–परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमश:.....2/–

10. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0 1/2/3/4/5) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

08/03/16

(मोहम्मद तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)